हेमन्त सोरेन
मुख्यमंत्री

अ0शा0प0सं0 3900028
दिनांक 29:07:2026

माननीय प्रधानमंत्री जी,

भारत सरकार द्वारा देश के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र–छात्राओं के पठन–पाठन में आर्थिक सहयोग हेतु वर्गवार प्री एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। शिक्षा उन्नयन के लिए निरन्तर प्रयास सराहनीय एवं अनुकरनीय है। आपके नेतृत्व में शिक्षा व समान अवसरों की दिशा में जो नीतिगत निर्णय लिये गये हैं, वे समाज के कमजोर वर्गों को मुख्यधारा में लाने की दिशा में प्रभावी सिद्ध होंगे। झारखण्ड सरकार उक्त भावनाओं के अनुरूप सामाजिक समानता एवं शैक्षणिक सशक्तिकरण के लक्ष्य को साकार करने हेतु निरन्तर प्रयत्नशील है। राज्य में शिक्षा को प्रत्येक वर्ग तक पहुंचाने का अभियान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में एक है। राज्य ने छात्रवृत्ति दर निर्धारण में समुदाय विशेष को आधार न मानते हुए इसे पूर्णतः लाभुक के माता–पिता/आश्रित के वार्षिक आय को आधार माना है, जो पारदर्शी, समान एवं सामाजिक न्याय की आधुनिक परिभाषा के अनुरूप है। फिर भी झारखण्ड राज्य में भौगोलिक कठिनाईयों, सीमित संसाधनों और वंचित समुदायों की संख्या अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक होने के कारण विद्यार्थियों को अपेक्षित सहायता प्रदान करना चुनौतिपूर्ण है।

झारखण्ड राज्य सामाजिक एवं आर्थिक रूप से एक विकासशील राज्य है, जहां राज्य के आधे से अधिक आबादी पिछड़ा वर्ग (BC) समुदाय से है एवं इस समुदाय के अनेक विद्यार्थी अपनी शैक्षणिक आकांक्षाओं को सीमित संसाधनों के बावजूद पूरा करने का प्रयास कर रहें है। वर्तमान में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्री–मैट्रिक एवं पोस्ट–मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं के अन्तर्गत केन्द्र से प्राप्त सहायता राशि राज्य के वास्तविक अवश्यकताओं की तुलना में अपर्याप्त हैं, जिससे अनेक सुयोग्य विद्यार्थियों को ससमय छात्रवृत्ति का भुगतान करने में कठिनाइयाँ हो रही है।

राज्य व केन्द्र द्वारा निर्धारित प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति की दरों में ज्यादा अन्तर नहीं है, फिर भी केन्द्र द्वारा विमुक्त की जा रही राशि राज्य द्वारा याचित राशि की तुलना में अत्याधिक कम है। उदहारणस्वरूप वर्ष 2024–25 में राज्य द्वारा प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु रू 66.14 करोड़

कांके रोड, रांची - 834 008 (झारखंड)
दूरभाष : 0651-2280886, 2280996, 2400233 फैक्स: 2280717, 2400232
ई-मेल : chiefminister.jharkhand19@gmail.com

Scanned with OKEN Scanner

की छात्रवृत्ति की अधियाचना की गयी, जबकि केन्द्र सरकार से केवल रू 12.61 करोड़ की राशि विमुक्त की गई, वित्तीय वर्ष 2025–26 में 45.91 करोड़ की अधियाचना की गयी, जबकि केन्द्र सरकार द्वारा केवल 3.95 करोड़ की राशि विमुक्त की गयी। पोस्ट–मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु राज्य द्वारा विगत वित्तीय वर्ष 2024–25 में याचित 353.21 करोड़ रूपये के एवज में केन्द्र द्वारा 33.57 करोड़ रूपये मात्र विमुक्त किये गये हैं एवं वित्तीय वर्ष 2025–26 में केन्द्र सरकार से 370.87 करोड़ की अधियाचना की गयी, जिसके एवज में केन्द्र द्वारा मात्र 58.22 करोड़ की राशि विमुक्त की गयी। इस वित्तीय अन्तर के कारण लाखों विद्यार्थियों को समय पर छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं हो सकी। यह स्थिति राज्य के शैक्षणिक उद्देश्यों को प्रभावित कर रही है। राज्य के लिए वित्तीय वर्ष 2024–25 एवं 2025–26 में केन्द्र सरकार द्वारा क्रमशः 23.78 करोड़ एवं 32.70 करोड़ राशि Notional Allocation के रूप में स्वीकृत किया था, जो राज्य की आवश्यकता ते तुलना में अत्याधिक अल्प है। सभी योग्य छात्र–छात्राओं को छात्रवृत्ति से लभान्वित करने हेतु Notional Allocation की राशि में भी बढ़ोतरी की आवश्यकता है।

इसी प्रकार अनुसूचित जनजाति के कोटि के छात्र–छात्राओं के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्री एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। प्री मैट्रिक दिवाकालीन छात्र–छात्राओं हेतु प्रतिवर्ष प्रतिछात्र 3000/– का दर निर्धारित है। केन्द्र सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2025–26 में प्री एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति में राज्य के लिए कोई राशि विमुक्त नहीं की गयी थी। वित्तीय वर्ष 2024–25 में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु 200.00 करोड़ की राशि विमुक्त की गयी थी, किन्तु उक्त वित्तीय वर्ष विमुक्त राशि वास्तव में वित्तीय वर्ष 2022–23 के Arrears की राशि थी एवं 2023–24 के केन्द्रांश का 42 प्रतिशत प्रथम किस्त के रूप में दिया गया था। इससे स्पष्ट है कि वित्तीय वर्ष 2023–24 की 58 प्रतिशत केन्द्रांश की राशि, वित्तीय वर्ष 2024–25 एवं 2025–26 की सम्पूर्ण केन्द्रांश की राशि राज्य को अप्राप्त है। इसी प्रकार प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति 2024–25 एवं 2025–26 में कोई केन्द्रांश राज्य को प्राप्त नहीं है। इस ओर भी ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे कि अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग हेतु प्री–मैट्रिक स्तर पर छात्रवृत्ति के दर में भिन्नता है। यह क्रमशः 3000.00, 3500.00 एवं 4000.00 रूपये प्रति छात्र है। इस दर में भी अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए निर्धारित दर अन्य की तुलना में कम है।

काँके रोड, राँची–834008/ Kanke Road, Ranchi-834008
दूरभाष/Tele.-0651-2280886, 2280996, 2400233. फैक्स/Fax– 2280717, 2400232

Scanned with OKEN Scanner

राज्य में अल्पसंख्यकों की आबादी 23.29% है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2021–22 के बाद से अल्पसंख्यकों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा संचालित छात्रवृत्ति योजना के लिए राशि विमुक्त नहीं की जा रही है, जिसके कारण छात्र–छात्राओं के शैक्षणिक उत्थान पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। केन्द्र सरकार द्वारा इसे पुनः प्रारम्भ करने की आवश्यकता है।

साथ ही, निवेदन है कि भारत सरकार एक नीतिगत निर्णय पर विचार करे जिसके अन्तर्गत आर्थिक रूप से पिछड़े एवं विकासशील राज्यों को छात्रवृत्ति योजनओं विशेषकर पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति में अधिक केन्द्रीय अंशदान का प्रावधान किया जाय, ताकि शिक्षा में समानता और सामाजिक न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति की जा सके। उक्त के द्वारा राज्य के लाखों विद्यार्थियों को न केवल शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा, बल्कि वे भविष्य में राष्ट्रनिर्माण में अपनी सक्रिय भागीदारी निभा सकेंगे।

जोहार!

(हेमन्त सोरेन)

श्री नरेन्द्र दामोदर दास मोदी,
माननीय प्रधानमंत्री,
भारत सरकार,
सेवा तीर्थ, नई दिल्ली–110011

काँके रोड, राँची–834008/ Kanke Road, Ranchi-834008
दूरभाष/Tele.-0651-2280886, 2280996, 2400233. फैक्स/Fax– 2280717, 2400232

Scanned with OKEN Scanner